आलेख

(रू. 100/ के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर अनुबंध)

Memorandum of Agreement- MoA (मेमोरेण्डम आफ एग्रीमेन्ट)

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (यू0पी0ए0 डिवीजन) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–F.No. K 14011/1/2013-UPA दिनांक 24.09.2013 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभआरम्भ कर दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त के क्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के आपरेशनल दिशा निर्देश दिनांक 11.12.2014 को जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों हेतु पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को परिवर्तित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंम्भ व्यापक स्तर पर शहरी गरीबों के हितार्थ किया गया है। उ0प्र0 में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1926/69–1–13–14(104) 2013 दिनांक 28.02.14 के माध्यम से राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0 को नोडल विभाग तथा निदेशक सूडा उ0प्र0 को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश में सुचारू रूप से संचालन हेतु यह अनुबंध प्रपत्र आज दिनांक .....को राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0, 10 नवचेतना केन्द्र अशोक मार्ग, लखनऊ और संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) (संस्था का नाम एवं पूर्ण पता) .....के मध्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत एवं मुख्य रूप से उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (एस. एम. एण्ड आई.डी.) के क्रियान्वयन हेतु निष्पादित किया जाता है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन निदेशक/मिशन निदेशक द्वारा नामित अधिकारी श्री .....पद..... .....**(प्रथम पक्ष)**

एवं

संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) (संस्था का नाम और पूरा पता)..... .....स्वयं सेवी संस्था/सरकारी/अर्धसरकारी/प्रा0 लि0 कम्पनी/अन्य संस्थान है, जो सोसाइटीज एक्ट 1860/कम्पनी अधिनियम ..... **(अधिनियम का उल्लेख करें)**/अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था/संस्थान है एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत प्रकाशित निविदा (आर0एफ0पी0) संख्या

3849/241/एन0यू0एल0एम0/तीन/2001(एस0एम0एण्ड आई0डी0) दिनांक 13.01.2015 के माध्यम से इम्पैनल्ड की गई संस्था है। संस्था/संस्थान के श्री.....
.....पुत्र .....पद .....
..... पूरा पता.....
.....(प्राधिकृत/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नामित) व्यक्ति .....
.....
.....(द्वितीय पक्ष)

राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत उ0प्र0 में चयनित शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन आदि कार्यों हेतु संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई निविदा (RFP no.-3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) RFP for Empanelment of Resource Organizations under National Urban Livelihood Mission (NULM), Date 13-01-2015 (*संलग्नक–1*) द्वारा मांगे गये तकनीकी प्रस्तावों के वाहय संस्था द्वारा मानकों के अनुरूप किये गये मूल्यांकन में अर्ह पायी गई संस्थाओं की इम्पैनलमेन्ट सूची राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के पत्रांक संख्या–275/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 (*संलग्नक–2*) द्वारा निर्गत की गयी है जिसमें यह संस्था "इम्पैनल्ड संस्था" है। निविदा (RFP) के SECTION: 1 - BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT (The functions of the ROs, Payment of ROs, Schedule of Payment, Review of the performance of the ROs & Reporting by the ROs) and IMPORTANT INFORMATION TO THE BIDDERS (Expected outcomes of the engagement with ROs, Principles of partnerships with ROs, Selection criteria for ROs, Scope of work of ROs and Monitoring & Evaluation) में संदर्भ संस्था के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वाहन हेतु निविदा एवं गाइडलाइन में उल्लिखित विवरण/मानको के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0 के मध्य उल्लिखित तिथि से 03 (वर्षों) हेतु आपसी सहमति के आधार पर निम्नवत शर्तो के आधार पर अनुबंध किया जाता है।

(क) <u>सन्दर्भ संस्था का कार्य क्षेत्र</u>

यह अनुबंध (शहर/शहरों का नाम).....हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन आदि कार्यो के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा इम्पैनल्ड संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) हेतु जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या 275/241/एन0यू0एल0एम0/तीन/2001 (एस0एम0एण्ड आई0डी0 दिनांक 28.04.2015 (*संलग्नक–3*) के अनुक्रम में किया जा रहा।

(ख) <u>प्रथम पक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व :</u>

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन आदि कार्यों के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित अपेक्षित कार्य शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/डूडा के माध्यम से प्रदान किया जाना (*संलग्नक–3*)।

2. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के इम्पैनल्ड हेतु जारी की गई निविदा (RFP no.-3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) RFP for Empanelment of Resource Organizations under National Urban Livelihood Mission (NULM), Date 13-01-2015 (*संलग्नक–1*) के SECTION: 1 - BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT (The functions of the ROs, Payment of ROs, Schedule of Payment, Review of the performance of the ROs & Reporting by the ROs) and IMPORTANT INFORMATION TO THE BIDDERS (Expected outcomes of the engagement with ROs, Principles of partnerships with ROs, Selection criteria for ROs, Scope of work of ROs & Monitoring & Evaluation) में संदर्भ संस्था के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के अनुसार निकाय/शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कार्यो के सम्पादन हेतु सन्दर्भ संस्था को मार्ग निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना।

3. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास हेतु जारी दिशानिर्देश **(संलग्नक–4)** एवं समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों को सन्दर्भ संस्था को उपलब्ध कराते हुए तत्क्रम में कार्यों का संपादन कराना ।

4. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित कराना, अनुश्रवण, देखरेख एवं प्रगति की समीक्षा शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से कराना तथा समय–समय पर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराना।

5. सन्दर्भ संस्था को गाइडलाइन एवं आर0एफ0पी0 प्राविधानों के अनुसार शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को भुगतान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत करना।

6. सन्दर्भ संस्था को इस MoA के प्रस्तर 'घ' में उल्लिखित मानको के अनुसार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से भुगतान कराना।

7. सम्बन्धित शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई/राज्य नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से मासिक प्रगति आख्या (साफ्ट व हार्ड प्रतियों में) प्राप्त कर भारत सरकार को भेजना।

8. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/राज्य नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से सन्दर्भ संस्थाओं की सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न होने पर नियमानुसार (इस MoA के प्रस्तर 'च' सामान्य शर्तों में उल्लिखितानुसार) कार्यवाही करना।

(ग) <u>द्वितीय पक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व :</u>

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन क्षमता सम्वर्धन आदि कार्यो को सम्पादन करना।

2. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के इम्पैनल्ड हेतु जारी की गई निविदा (RFP no.-3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) RFP for Empanelment of Resource Organizations under National Urban Livelihood Mission (NULM), Date 13-01-2015 (***संलग्नक–1***) के SECTION: 1 -BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT (The functions of the ROs, Payment of ROs, Schedule of Payment, Review of the performance of the ROs & Reporting by the ROs) and IMPORTANT INFORMATION TO THE BIDDERS (Expected outcomes of the engagement with ROs, Principles of partnerships with ROs, Selection criteria for ROs, Scope of work of ROs & Monitoring & Evaluation) में संदर्भ संस्था के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

3. राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या 275/241/एन0यू0एल0एम0 /तीन /2001 (एस0एम0एण्ड आई0डी0/ दिनांक 28.04.2015 (***संलग्नक–3***) के अनुसार गुणवत्ता आधारित कार्यों का समयबद्ध सम्पादन।

4. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास हेतु जारी दिशा–निर्देश एवं समय–समय सीमा पर निर्गत किये जाने वाले निर्देश के साथ ही राज्य सरकार, राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं निर्गत किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्यो का सम्पादन करना।

5. आवंटित शहर में विभिन्न योजनान्तर्गत (स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि) गठित स्वयं सहायता समूहों की मैपिंग करना।

6. मैपिंग का मुख्य उद्देश्य होगा कि वर्तमान में मौजूद स्वयं सहायता समूहों/ फेडरेशन की गुणात्मक स्थिति का आंकलन कर उन्हें सुदृढ़ किया जाय, तथा वर्तमान में मौजूद स्वयं सहायता समूहों हेतु आवश्यकता आधारित अन्तः क्रिया का निर्धारण कर लक्ष्यों के सापेक्ष कार्ययोजना तैयार करना।

7. आवंटित शहर/क्षेत्र विशेष में जहां शहरी गरीब गतिशील नहीं किये गये हैं उन क्षेत्रों/(पाकेट) का चिन्हांकन करते हुए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना। ।

8. शहर/क्षेत्र विशेष में कम्पैक्ट भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण कर कार्य करना।

9. शहरी गरीबों को गतिशील करते हुए समरूप (Affinity) समूहों एवं उनके संघो का गुणवत्तापरक गठन सहभागी प्रक्रिया के आधार पर करना।

10. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा शहरों/आवंटित शहरों/क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघों का गठन एवं क्षमता सम्वर्धन कर दो वर्षों तक हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अन्य घटकों में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत् सहयोग करना।

11. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों का विस्तृत विवरण हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों में तैयार कर नियमित अपडेट करना तथा समय–समय पर मांगी गई सूचना, सी.एम.एम.यू./डूडा/निकाय/एस.एम.एम.यू./सूडा को उपलब्ध कराना।

12. मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस में हार्ड एवं साफ्ट प्रति में शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को उपलब्ध कराना।

13. गुणवत्ता आधारित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों के गठन हेतु सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्तियों Community Resource Person को नामित करना/रखना।

14. स्वयं सहायता समूहों का गठन गाइडलाइन के अनुसार करना तथा गाइडलाइन के एनेक्जर– I में उपलब्ध मॉडल एस0एच.जी0 रूल्स एवं रेग्यूलेशन **(संलग्नक –5)** तथा एनेक्जर– II में उपलब्ध मॉडल नियमावली **(संलग्नक–6)** के–अनुसार गठित किये जाने वाले सभी समूहों के रूल्स एवं रेग्यूलेशन तथा नियमावली बनवाना।

15. स्वयं सहायता रामूहों का गठन चेक लिस्ट गाइडलाइन के एनेक्जर–III **(संलग्नक–7)** के अनुसार सुनिश्चित कराना।

16. स्वयं सहायता समूहों का गठन आदि सभी कार्यों का निष्पादन निर्धारित अन्तरिम समय रेखा (टेन्टेटिव टाइमलाइन) **(संलग्नक–8)** के अनुसार करना।

17. निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा को नियमित किये गये कार्यों की रिपोर्टिंग करना।

18. प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन तथा एक्सपोजर विजिट के माध्यम से समूहों एवं संघों को शशक्त बनाना ताकि सदस्यों के आजीविका संवर्धन में मदद मिल सके तथा सामाजिक रूप से क्रियाशील हो सके तथा सामाजिक आर्थिक विकास परिलक्षित हो सके।

19. स्वयं सहायता समूहों के गठन के उपरान्त स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित किये जाने की अनिवार्यता का अनुपालन सुनिश्चित करना। (केवल प्रतिनिधि नहीं) प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूहों अवधारणा आदि पर आधारित होगा।

20. स्वयं सहायता समूहों **को न्यूनतम 15 माह का घनिष्ठ सहयोग देना जिसमें** स्वयं सहायता समूहों का गठन, स्वयं सहायता समूहों बैठकों में नियमित उपस्थित रहने की अनिवार्यता, 2 वर्ष पूर्व गठित समूहों के सदस्यों के माध्यम से क्रास लर्निंग कराना, बैंकों तथा सरकारी विभागों के अधिकारियों की पहुंच सुनिश्चित कराना, NULM के अन्तर्गत

लाभ दिलाना एवं सामुदायिक आयोजकों को स्वयं सहायता समूहों के मूल्यांकन में सहयोग देना (गठन के एक माह के भीतर), बैंको मे खाता खुलवाना/सम्बद्धता सुनिश्चित करना।

21. स्वयं सहायता समूहों **को 15–24 माहों के मध्य गठित स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार सन्तोषजनक कार्यों में निपुण बनाकर** सक्रिय सहयोग को धीरे– धीरे कम करना। अनुश्रवण में तेजी लाना तथा 24 माह के अन्त में स्थाई रूप से गुणवत्तापरक कार्यों के मापदण्ड हेतु गहन मूल्यांकन में सामुदायिक आयोजक/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) का सहयोग प्रदान करना।

22. Area Level Federation (ALF)/City Level Federation (CLF) का विधिवत गठन, क्षमता संवर्धन एवं पंजीकरण आदि कार्यवाही सुनिश्चित करना।

23. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के यू0आई0डी0 नामांकन एवं सामान्य बचत खाता खुलवाना, तथा ऋण सम्बन्धी परामर्श देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ हेतु समन्वयन कराना।

(घ) संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को भुगतान –

संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के इम्पैनल्ड हेतु जारी की गई निविदा (RFP no.-3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) RFP for Empanelment of Resource Organisations under National Urban Livelihood Mission (NULM), Date 13-01-2015 (***संलग्नक–1***) के SECTION: 1 - BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT के प्रस्तर 5 एवं 6 (Payment of ROs, Schedule of Payment) में संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को निर्धारित कार्यो हेतु भुगतान रू0 10,000/– (दस हजार रूपया मात्र) की दर से 2 वर्षों हेतु हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट जिसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन, सामुदायिक गतिशीलता, गठन व्यय, क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों को लेखा एवं अन्य विभिन्न अभिलेखों हेतु रजिस्टर, शैक्षिक सामग्री, मुहर, आजीविका एवं लघु ऋण हेतु तकनीकी सहायता आदि कार्यों, स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्रीय एवं शहरी स्तरीय फेडरेशन का गठन, पंजीकरण एवं प्रशिक्षण के साथ ही अन्य सभी उपघटकों में सहयोग जैसे– वित्तीय समावेशन हेतु जागरूकता, शहरी आजीविका केन्द्र में सहयोग आदि कार्यों हेतु Schedule of Payment **(संलग्नक– 09)** के अनुसार शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा किया जायेगा।

(ङ) सन्दर्भ संस्थाओं से अपेक्षित परिणाम

1. आवंटित शहर/शहर के क्षेत्र विशेष के सभी शहरी गरीब परिवारों से कम से कम 1 सदस्य (वरीयता क्रम में महिला) को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना।

2. रिवॉल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूहों में अनिवार्य रूप से 70% सदस्यों के शहरी गरीब होने के मानक का पूर्ण होना।

3. सन्दर्भ संस्थाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर क्षमता संवर्धन सुनिश्चित करना जैसे– स्वयं सहायता समूह अवधारणा, बचत, नियमित बैठक, लेखा–जोखा का रखरखाव, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, विवादों का निपटारा, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, अभिलेखीकरण, बैंक लिंकेजेज, वित्तीय प्रबन्धन, स्वयं मूल्यांकन आदि।

4. सभी समूहों का बैंको में खाता खुलवाना तथा बचत धनराशि खाते में जमा कराना।

5. सभी समूहों को ऋण सुविधा हेतु बैंको से सम्बद्धता कराना।

6. सभी गठित नये समूहों को रिवाल्विंग फण्ड की सहायता राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक (SMID) की गाइडलाइन उपलब्ध Annexure-V Application for Revolving Fund Support to SHG Under NULM **(संलग्नक– 10)** के अनुसार तैयार कराकर दिलाना।

7. स्वयं सहायता समूहों का क्षेत्र एवं शहर स्तरीय फेडरेशन गाइडलाइन के अनुसार बनवाना तथा पंजीकृत कराना।

8. Area Level Federation (ALF)/City Level Federation (CLF) के सभी सदस्यों को फेडरेशन की अवधारणा, बचत का महत्व, बैठक आयोजन विधि, सदस्यों के उत्तरदायित्व, अभिलेखीकरण, लेखा जोखा, वित्तीय प्रबंधन, बैंको से बचत एवं ऋणु हेतु सम्बद्धता, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, विवादों का निपटारा, स्वयं मूल्यांकन, तथा सरकारी योजनाओं तक पहुंच हेतु समन्वयन की रणनीति पर क्षमता संवर्धन करते हुए प्रशिक्षित करना।

9. सभी गठित Area Level Federation (ALF) एवं City Level Federation (CLF) का विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण कराना।

10. Area Level Federation (ALF) को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक से रिवाल्विंग फण्ड गाइडलाइन के Annexure-VI Application for Revolving Fund Support to Area Level Federation (ALF) Under NULM **(संलग्नक– 11)** के अनुसार तैयार करवाकर दिलाना।

11. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्य सभी उपघटकों में सहयोग उपरान्त गुणात्मक प्रगति परिलक्षित कराना तथा अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध कराना।

(च) <u>सामान्य शर्ते</u>

1. उपरोक्त शर्तो/कार्यों के उल्लंघन एवं पूर्ण नही करने की स्थिति में संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर धनराशि रू0 1,00,000/– (रूपया एक लाख मात्र) दिनांक–.....के माध्यम से जमा की गयी बैंक गारण्टी **(संलग्नक–12)** राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0) को जब्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

2. संदर्भ संस्था के संतोषजनक कार्य न पाये जाने पर मिशन निदेशक को अधिकार होगा कि उक्त संस्था को आवंटित कार्यों को निरस्त कर अन्य संस्था को आवंटित कर दिया जाये।

3. भुगतान हेतु उल्लिखित शर्तो/कार्यों के अनुसार ही संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को भुगतान किया जायेगा। संतोषजनक कार्य न पाये जाने पर भुगतान की गयी धनराशि मय ब्याज व आंकलित हर्जाने के साथ नियमानुसार वसूलने का अधिकार मिशन निदेशक को होगा।

4. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन के कार्यो को फ्रेन्चाईजी व सबलेटिंग नही किया जायेगा।

5. In case of any dispute between Ist & IInd party the dispute would be referred to President SUDA/ Secretary Urban Employment and Poverty Alleviation Department, Govt. of U.P or his nominees has the sole Arbitration under the provision of Conciliation and Arbitration Act 1996.

6. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को अनुबंध में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

7. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रथम पक्ष

गवाह–1
हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
पूरा पता :

गवाह–2
हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
पूरा पता :

अनुबधकर्ता
हस्ताक्षर :
(मोहर सहित)
पूरा नाम/ पद : –
पूरा पता : राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0
(सूडा, उ0प्र0), नवचेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, लखनऊ

द्वितीय पक्ष

गवाह–1
हस्ताक्षर :

पूरा नाम :
पूरा पता :

गवाह–2
हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

पूरा पता :

अनुबधकर्ता
हस्ताक्षर :
(मोहर सहित)
पूरा नाम :
पद :
संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) का नाम
:.....
.....
.....
.....
पूरा पता :.....
.....
.....
.....

संलग्नक–

Schedule of Payment:
Payment will be made as per following schedule:

Sl. No.	Deliverables	Percentage of Payment
1	• Mobilising the poor on the basis of affinity groups by proper selection of members and formation of SHGs as per the model SHG rules and regulations in the light of NULM guideline. • Within a month of formation of the SHG and all groups that are not linked with bank-account, should be helped to open SHG bank accounts. • *Ist installment will be released after receipt of report from ROs containing the list of SHGs bank-account number.*	30 %
2	• Building the capacity of SHGs by organizing training of all the members to further support livelihoods of their members and also facilitate social action. • Trainings to be conducted in basic issues such as (a) the SHG concept including savings, how a meeting of SHG is conducted, responsibilities of group members, federations, etc.; (b) book-keeping and accounting, fund management, building bank and credit linkages; (c) communication, decision making, conflict resolution, self-assessment, how to make bankable proposal for sustainable livelihood etc.; and (d) accessing government benefits under NULM and on successful completion of 6 (six) months of the SHGs after the opening of their Bank Accounts. • *IInd installment will be released after receipt of completion report of SHGs training from ROs.*	20 %
3	• Handholding support for at least 15 months: Once the groups are formed, ROs will be required to attend their meetings on a regular basis, bring in bankers, government officials from various departments, and members from SHGs established for a period of at least 2 years (for cross learning) to interact with the SHGs (at the SHG and federation-levels). At this stage, ROs will also organise capacity building and encourage members of the SHG to access benefits under NULM and access bank link for entrepreneurship. The ROs will assist the Community Organiser in the evaluation of the performance of SHGs being supported by them. • *IIIrd installment will be released after receipt of satisfactory report of handholding support to SHGs after 15 months.*	30 %
4	• Withdrawal of support between 15-24 months: In this period, ROs will be expected to withdraw active support from those SHGs that are formed and performing satisfactorily. At this stage the level of monitoring will increase and at the end of the 24 months of support, a critical evaluation of the supported SHGs in collaboration with the Community Organiser of the ULB must be undertaken to determine whether the SHG may be deemed self-sustaining. Here ROs will encourage SHGs to federate into ALFs and work closely with ALFs and CLFs to build their capacity to take over the handholding function after the RO fully withdraws support. • At least 75% formed SHG must be federated in to ALF & CLF • *Last & final installment will be released after receipt of final report of the SHGs sustenance & proper functioning of ALF & CLF as per guideline from ROs & final recommendation of CMMU/ULB/DUDA/SMMU.*	20 %

(Empanelment Guarantee form on Rs. 100/- of non-judicial stamp paper)

PERFORMANCE GUARANTEE FORM FOR RESOURCE ORGANIZATION OF SOCIAL MOBILIZATION & INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (SM&ID) UNDER NATIONAL URBAN LIVELYHOOD MISSION (NULM) – UTTAR PRADESH

Under section 2 of RFP page no. 10, **towards Performance Guarantee in the form of Bank Guarantee.**

To
Mission Director,
State Urban Livelyhood Mission (SULM) SUDA
Uttar Pradesh

WHEREAS:.....(Name of the Resource Organization) hereinafter called the "R.O has undertaken, in pursuance of MoU dated.....2015 to provide supports towards formation of SHG's and their Federations etc under Social Mobilization & Institutional Development (SM&ID) as well as other component of National urban livelihood mission (NULM) in the allotted cities/Areas of city named ---------- (Name of Selected Cities) through bid processes, hereinafter called the "Resource Organization.

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said MoU that the Resource Organization shall furnish you with a bank Guarantee by a Nationalized Bank for the sum specified therein as security for providing the quality formation of SHG and their Federation as well as other Performance obligations in accordance with the MoU.
AND WHEREAS we have agreed to provide the Bank Guarantee on behalf of Resource Organization.

THEREFORE WE hereby affirm that we are Guarantors and responsible to you, on behalf of the R.O. up to a total of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac only) and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the Resource Organization to be in default under the MoU and without cavil or argument, any sum or sums within the limit of.....(Amount of Guarantee) as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein.
This guarantee is valid for 3 years from the date of singing of MoU that is the .....day of the month.....year.....and it will be renewable on your demand.

Signature and Seal of Guarantors
.....
.....
Date.....
Address.....
.....
.....